भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 403

दिनांक 19.11.2019/ 28 **कार्तिक**, 1941 **(शक) को उत्तर के लिए**

महाराष्ट्र में फसलों के नुकसान हेतु सहायता

†403. **श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः**

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र, विशेष रूप से कोल्हापुर, सांगली, सतारा और मुंबई जिला तथा मध्य प्रदेश, विशेष रूप से मंदसौर जिला हाल के महीनों में अप्रत्याशित वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके कारण इन जिलों में बड़ी मात्रा में खड़ी फसलों और उच्च मूल्य की बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ड़) क्या सरकार ने फसलों को हुए नुकसान की मात्रा का मूल्यांकन करने और पता लगाने के लिए प्रभावित जिलों में एक केन्द्रीय टीम भेजी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम रहा है; और

(च) सरकार द्वारा देश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण इन फसलों के नुकसान को कम करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार कोल्हापुर, सांगली, सतारा और मुंबई सहित राज्य के 29 जिले बाढ़ द्वारा प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार मंदसौर सिहत राज्य के 39 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे।

(ख) से (ड.) आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राज्यों को उनके प्रयासों को पूरा करने में सभी संभव लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के आलोक में होने वाली क्षति का आकलन करती हैं और अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन किया जाना शामिल है, के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हाल ही के मामले में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से ज्ञापन की प्राप्ति से पहले ही गृह मंत्रालय ने आईएमसीटी गठित की है, जिसने क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए दिनांक 29 अगस्त से 01 सितंबर, 2019 तक महाराष्ट्र के तथा दिनांक 19 से 20 सितंबर, 2019 तक और पुन: दिनांक 14 से 16 अक्टूबर, 2019 तक मघ्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने एनडीआरएफ से क्रमश:

2110.62 करोड़ रूपए और 6621.28 करोड़ रूपए की सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। महाराष्ट्र के संबंध में आईएमसीटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य के लिए 'लेखागत आधार पर' 600 करोड़ रूपए की अंतरिम राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आईएमसीटी की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् दोनों राज्यों को एनडीआरएफ के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(च): मौसम और मानसून की भविष्यवाणी के आधार पर किसानों के लाभ हेतु उपयुक्त फसल प्रणाली सुझाई जाती है। मौसम में किसी प्रकार के अचानक परिवर्तन की दशा में कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से देश के सभी समस्याग्रस्त जिलों हेतु फसल आकस्मिक योजना तैयार करता है। फसल मौसम निगरानी रिपोर्ट के आधार पर आकस्मिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाईजरी जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत किसानों को एम-किसान पोर्टल के माध्यम से एसएमएस द्वारा मौसम आधारित एडवाईजरी भेजने की एक प्रणाली भी मौजूद है।

*****